भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1000

उत्तर देने की तारीख- 29/07/2024

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा परीक्षाओं की गोपनीयता का उल्लंघन

†1000. डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानीः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन के दौरान छात्रों को प्रभावित करने वाली गोपनीयता के उल्लंघन की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा परीक्षा प्रक्रिया में गोपनीयता और सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने और छात्रों के लिए समग्र परीक्षा अनुभव को बढ़ाने हेतु एनटीए की वर्तमान प्रक्रियाओं और अवसंरचना में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा दूरस्थ और दुर्गम परीक्षा केन्द्रों के आवंटन के कारण छात्रों को हो रही असुविधा की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा, परीक्षण केन्द्र सभी छात्रों, विशेषकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों के लिए सुविधाजनक रूप से अवस्थित हों, को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ) उच्चतर शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित करने हेतु एक विशेष निकाय के रूप एनटीए की स्थापना वर्ष 2018 में की गई। एनटीए ने अपनी स्थापना के बाद से, 5.4 करोड़ से अधिक छात्रों को शामिल करते हुए 240 से अधिक परीक्षाएँ आयोजित की हैं।

मई, 2024 में नीट (यूजी) 2024 परीक्षा आयोजित होने के बाद, कथित अनियमितताओं/धोखाधड़ी/कदाचार के कुछ मामले सामने आए। शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को नीट (यूजी) 2024 परीक्षा से संबंधित कथित अनियमितताओं के पूरे मामले की व्यापक जांच करने के लिए कहा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डब्ल्यूपीसी 335/2024 और इससे जुड़े मामलों में 23 जुलाई, 2024 के आदेश में कहा है कि "की गई जांच जिसे इस न्यायालय के निर्णय में

प्रतिपादित किया गया है, के आधार पर या अभिलेख में उपलब्ध आंकड़ा और सामग्री के आधार पर संपूर्ण नीट (यूजी) 2024 परीक्षा को रद्द करने का आदेश देना उचित नहीं है।"

दिनांक 18.6.24 को आयोजित यूजीसी-नेट जून 2024 परीक्षा कुछ इनपुट प्राप्त होने के बाद रद्द कर दिया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि परीक्षा की सत्यनिष्ठा से समझौता किया गया है। मामले की गहन जांच के लिए इसे सीबीआई को सौंप दिया गया।

एनटीए द्वारा परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन हेतु प्रभावी उपाय सुझाने के लिए, शिक्षा मंत्रालय ने दिनांक 22.06.2024 को डॉ. के राधाकृष्णन, पूर्व अध्यक्ष, इसरो और आईआईटी कानपुर के शासी निकाय के अध्यक्ष की अध्यक्षता में सात सदस्यीय विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जो परीक्षा प्रक्रिया प्रणाली में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार और एनटीए की संरचना एवं कार्यप्रणाली के संबंध में सिफारिशें करेगी। समिति के अधिदेश में एंड टू एंड तक परीक्षा प्रक्रिया का विश्लेषण, मानक संचालन प्रक्रियाओं/प्रोटोकॉल की गहन समीक्षा और मौजूदा डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल का मूल्यांकन शामिल है। समिति दो महीने में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने हेतु, केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2024 बनाया है। यह अधिनियम 21 जून, 2024 से लागू हो गया है और 23 जून, 2024 को इसके तहत नियम भी अधिसूचित कर दिए गए हैं।

प्रत्येक केंद्र में शहर की प्राथमिकता और क्षमता की उपलब्धता के अनुसार कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से अभ्यर्थियों को केंद्र आवंटित किए जाते हैं। अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए शहरों की पसंद में से किसी एक शहर में केंद्र आवंटित करने का प्रयास किया जाता है। तथापि, जब अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक होती है, तो कुछ अभ्यर्थियों को उनके द्वारा चयनित शहरों में समायोजित नहीं किया जा सकता है। ऐसे मामलों में, एनटीए उन्हें पड़ोस के स्थानों में समायोजित करने का प्रयास करता है। साथ ही, जब भी किसी विशेष शहर में कंप्यूटर नोड्स की कमी होती है, तो जहाँ भी संभव हो उच्चतर शैक्षिक संस्थानों और एआईसीटीई से संबद्ध संस्थानों से अनुरोध किया जाता है कि वे परीक्षा आयोजित करने हेतु अपने परिसर उपलब्ध कराएँ।

*****